न्यायालय–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
(जिला विधि शाखा)

अनुसूची–14 फारम सं0 162

आदेश फलक
(आदेश फलक का विषय 129)

1	2	3
7.12.10	वाद संख्या–सी.आर.एम.–14/2009–10 सुरेन्द्र मण्डल बनाम राज्य सरकार आदेश यह अपील सुरेन्द्र मण्डल वल्द–चन्द्रदेव मण्डल, सा0–सेमरा लबदाहा, थाना–पिपरासी, जिला–पश्चिम चम्पारण के द्वारा दायर किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी –सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या–19/2007, 21.09.2009 को रद्द किया गया, आदेश के तुरंत बाद वाद दायर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आरोप था कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के निरीक्षण के क्रम में बिक्रेता अनुपस्थित पाया गया, दुकान बन्द पाया गया, सूचनापट्ट प्रदर्शित नहीं पाया गया, मार्च 2009 से किरासन तेल वितरण नहीं किया गया एवं खाद्यान्न वितरण में काफी अनियमिता हुई है। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी ने बिक्रेता से कारण पृच्छा की मांग की गयी, कारण पृच्छा प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति दुकान को निलंबित किया गया है। पूरक कारण पृच्छा उनके द्वारा दायर किया गया, जिसमें इंगित किया गया कि माह– मार्च, 2009 से मई, 2009 तक खाद्यान्न एवं किरासन तेल उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया तथा उनसे प्राप्त कूपन को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा जमा किए गए कूपन से संबंधित विवरणी	

प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल कार्यालय के अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी ने यह मानते हुए कि खाद्यान्न की कालाबाजारी प्रखण्ड प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के मिलीभगत अनुज्ञप्तिधारी से हुआ, अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों के सम्यक विचारोपरान्त अपीलार्थी के दावा, उनके द्वारा अनियमित रूप से वितरण के पश्चात् कूपन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पास जाम किया गया, जिसका विधिवत सत्यापन नहीं किया गया, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट सत्यापन के आधार पर युक्ति संगत आदेश पारित करने हेतु इस वाद को अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा को रिमाण्ड किया जाता है। आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा को भेजें।

समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।